

न्यायालय –साक्षी दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग.

// रिमाण्ड-आदेश //

क्यू0...../मु0न्या0मजि0/2024

बैकुण्ठपुर दिनांक 31.12.2024

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि कंडिका-02 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके नाम के समक्ष कंडिका-03 में उल्लेखित अवधि के दौरान होने वाले सार्वजनिक अवकाश को अपने स्टाफ सहित न्यायालय में उपस्थित रहकर दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उस दिन उनके समक्ष पेश होने वाले आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्यों को निष्पादित करेंगे।

// माह जनवरी एवं फरवरी 2025 //

क्र.	मजिस्ट्रेट का नाम	रिमांड ड्यूटी अवधि
1	2	3
1.	श्री राजेश खलखो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग.	माह जनवरी 2025 – 05.01.2025, 11.01.2025, 12.01.2025 माह फरवरी 2025 – 02.02.2025, 08.02.2025, 09.02.2025
2.	श्री अमन तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग.	माह जनवरी 2025 – 18.01.2025, 19.01.2025, 26.01.2025 माह फरवरी 2025 – 15.02.2025, 16.02.2025, 23.02.2025, 26.02.2025

नोट :-

1- यदि नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचित कर कार्य विभाजन पत्र के अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लिया जाकर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

2- माह "जनवरी एवं फरवरी 2025" में अचानक किसी भी दिन अवकाश घोषित होने की दशा में श्री राजेश खलखो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग. उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

3- रिमाण्ड ड्यूटी के समय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।


(साक्षी दीक्षित)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ0ग0)